



CENTRAL RAILSIDE WAREHOUSE COMPANY LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Dated 31.01.2014

CRWC-I/ Estt./Circular /13-14/ 4590 .

CIRCULAR

In recent weeks we have noticed a lack of attention regarding appropriate attire among employees. We do not mean to restrict anyone's freedom of expression, but it is our belief that employees should always be dressed decent in office, befitting to occasion. Maintaining a professional, business like appearance is very important to the success of the Organization. Regardless of the employee's interaction with clients, customers, suppliers, contractors, each employee projects the reputation of the organization. Part of this impression depends on each employee's .It is important that all employees are aware of dress code expectations.

It is management's intent that work attire should complement an environment that reflects an efficient, orderly, and professionally operated organization. The Company's objective, in establishing a dress code, is to enable employees to project a professional image so that it gives professional outlook for the place and to the individual.

With the approval of the competent authority, all the employees are hereby informed to follow and observe the dress code mentioned below :-

<u>Monday – Thursday</u>	<u>Men</u>	<u>Women</u>
Summer	Shirts, trousers, socks and shoes	Saree, Salwar Suit , formal wear i.e trousers and shirts and sandals/ formal shoes
Winter	Coat and Sweater	Coat / Sweater
Friday & Saturday	Informals	Informals

Floater and chappals in office should be avoided. All staff members working in corporate office are required to adhere to the instructions of the above circular strictly. This is effective from 1st February, 2014.


(P.K Jain) 31/1/14
Superintending Engineer – (E&A)

Distribution:

1. All Officers/ Staff, CRWC, CO, New Delhi, Officers to ensure that it is noted by staff under them
2. CVO, CRWC, CO, New Delhi

Ground Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi – 110001
Ph : 011-23379418 (PBX), Fax : 011- 23379434



सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी

सं. सीआरडब्लूसी-1/स्था./परिपत्र/13-14/4590

दिनांक:31.01.2014

परिपत्र

हाल के कुछ सप्ताहों में यह देखा गया है कि कार्यालय में कर्मचारी अपने पहनावे के प्रति समुचित ध्यान नहीं देते। हमारा अभिप्राय किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं है लेकिन हमारा यह जरूर मानना है कि कर्मचारी कार्यालय में उचित एवं अवसरानुकूल कपड़े पहनें क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी का एक व्यवसायिक तथा कारोबारी के रूप में दिखना संगठन की कामयाबी के लिए जरूरी है। ऐसा करना ग्रहकों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों के साथ होने वाले परस्पर संपर्क के अलावा कंपनी की प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। कंपनी का बाहरी लोगों पर, पड़ने वाला प्रभाव बहुत कुछ कर्मचारियों पर निर्भर है। अतः सभी कर्मचारियों को कंपनी के 'ड्रेस कोड' की अपेक्षाओं से अवगत होना आवश्यक है।

प्रबंधन की यह इच्छा है कि कार्यालय में कर्मचारियों का पहनावा संगठन को एक कुशल, व्यवस्थित तथा पेशेवर संगठन के रूप में प्रस्तुत करने वाले वातावरण का पूरक होना चाहिए। ड्रेस कोड स्थापित करने के पीछे कंपनी का उद्देश्य इसकी व्यावसायिक छवि प्रस्तुत करना है ताकि स्थान तथा व्यक्ति दोनों एक व्यवसायिक वातावरण एवं दृष्टिकोण से ओत-प्रोत रहे।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित ड्रेस कोड का अनुपालन करें:-

सोमवार से बृहस्पतिवार	पुरुष	महिला
गर्मी	कमीज, पैंट, जुराबें एवं जूते	साड़ी, सलवार सूट, फॉर्मल पहनावा जैसे ट्राउजर एवं शर्ट एवं सैंडल/फॉर्मल शूज
सर्दी	कोट एवं स्वेटर	कोट/स्वेटर
शुक्रवार एवं शनिवार	इनफॉर्मल	इनफॉर्मल

कार्यालय में फ्लोटर एवं चप्पल पहन कर नहीं आना चाहिए। कॉरपोरेट कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का समुचित अनुपालन करें। यह व्यवस्था 1 फरवरी, 2014 से लागू होगी।

(पी.के. जैन)

अधीक्षण अभियंता (अभि एवं प्रशा.)

1. सभी अधिकारी/कर्मचारी, सीआरडब्लूसी, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली। अधिकारीगण कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु उनके अधीन सभी कर्मचारियों द्वारा नोट कर ली गई है।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीआरडब्लूसी, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली।